न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—51 / 2016 / 223 (2016 / 00051)

1. श्रीमती शान्तिदेवी पुत्री काना उर्फ कन्हैयालाल, जाति खाती, निवासी ग्राम मसूदा, हाल निवासी पत्नि रामेश्वर खाती, नि0 ग्राम चान्दसेन, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गोपाल पुत्र काना उर्फ कन्हैयालाल,
2. प्रभू पुत्र काना उर्फ कन्हैयालाल,
3. श्रीमती रामकन्या पुत्री काना उर्फ कन्हैयालाल,
4. श्रीमती मांगी देवी पुत्री काना उर्फ कन्हैयालाल,
5. श्रीमती भगवती पुत्री काना उर्फ कन्हैयालाल,
6. श्रीमती नर्बदा पत्नि काना उर्फ कन्हैयालाल,
   समस्त जाति खाती, नि0 मसूदा, जिला अजमेर ।
7. उदाराम पुत्र नाथ, जाति गुर्जर, निवासी पाबूधान, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
8. गोविन्दराम पुत्र लालाराम, जाति गुर्जर, नि0 पाबूधान, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, दिनांक 29.4.2011 अंतर्गत वाद संख्या 43 / 2009.

उपस्थितः—

1. श्री हीरालाल, वकील अपीलांट ।
2. श्री प्रदीप यादव, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.
3. श्री युनुस खान, वकील रेस्पो0 संख्या 7 व 8.
4. रेस्पो0 संख्या 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—25.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 6 श्रीमती नर्बदा एवं रामचंद्र पुत्र काना ने अधी0न्याया0 में वाद पेश कर निवेदन किया कि राजस्व खाता संख्या 189 के खसरा संख्या 559 रकबा 3—19—00, खसरा नंबर 560 रकबा 4—3—0, खसरा नंबर 561 रकबा 5—12—00, 564 रकबा 5—3—00, 586 रकबा 00—01—10 कुल किता 5 कुल रकबा 18—18—10 व खाता संख्या 57 के खसरा संख्या 700 रकबा 3—10—00 की भूमियों जो कि ग्राम मसूदा में स्थित है , बाबत् वाद पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियां स्व0 काना पुत्र नारायण खाती के नाम दज र्थी एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम इंद्राज कर दी गई

जबकि काना उर्फ कन्हैयालाल की दो पत्नियां थी जिसमें वादिया व उसके वादी पुत्र का नाम इंद्राज नहीं किया गया है । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने वादीगण/रेस्पो0 संख्या 6 का वाद स्वीकार कर वादीगण को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश पारित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में प्रतिवादीगण/रेस्पो0 की भूमि का खातेदारी राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलांट एवं रेस्पो0 व उसका पुत्र रामचंद्र विधिक वारिसान है तथा अधी0न्याया0 द्वारा तीनों को ही बराबर–बराबर हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इंद्राज किये जाने के आदेश पारित किये जाने चाहिये थे किन्तु वादीगण प्रतिवादीगण के अधिवक्ता से मिलीभगत कर आदेश पारित करवा लिये । अपीलांट ग्रामीण परिवेश की महिला है जिसके साथ षड़यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी कर अपीलांट के हिस्से की जमीन हड़प करने की बदनियति से उक्त आदेश पारित करवाया गया है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अधी0न्याया0 क`समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर वादपत्र के आदेश न्यायालय के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जाकर प्रतिवादी को जवाब दावा सबूत प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जावे किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी/अपीलांट को समुचित अवसर दिया जाने के उपरांत विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लिया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है । सभी वारिसानों को बराबर–बराबर हिस्सा मिलना भी आवश्यक है किन्तु अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध साक्ष्यों की अनदेखपी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है । उक्त आदेश के आधार पर रेस्पो0 संख्या 6 ने संपूर्ण कृषि भूमि रेस्पो0 संख्या 7 उदाराम पुत्र नाथा, जाति गुर्जर तथा रेस्पो0 संख्या 8 गोविन्दराम पुत्र लालाराम जाति गुर्जर को दिनांक 21.12.2015 को बेचान कर दी तथा रेस्पो0 संख्या 6 ने उसके पुत्र रामचंद्र की मृत्यु के बाद उसकी भूमि को भी अपने नाम करवा कर उसे रेस्पो0 संख्या 7 को पुनः विक्रय कर दी । रेस्पो0 संख्या 7 व 8 उक्त भूमि को अन्यंत्र बेचान करने पर आमादा है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जावे कि अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने का आदेश पारित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने कई बार अपने अधिवक्ता से संपर्क किया किन्तु अधिवक्ता की लापरवाही से जवाबदावा बंद कर दिया गया तथा बाद में अधिवक्ता ने न तो साक्ष्य पेश की और बहस भी वादीगण की सहमति के आधार पर कर दी गई जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी तथा न ही अधिवक्ता ने अपीलांट को सूचित किया। दिनांक 1.2.2016 को नकल प्राप्त करने पर उक्त कृत्य की जानकारी हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने कानूनी सलाह लेकर जानकारी से

अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

6. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने बहस में अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 7 व 8 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 7 व 8 विवादित आराजियात के सद्भाविक क्रेता होकर काबिज काश्त चले आ रहे है । अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट/प्रतिवादी की साक्ष्य बंद कर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किये जाने पर अधी0न्याया0 को अपीलांट को जवाबदावे हेतु अंतिम अवसर प्रदान कर जवाबदावा पेश करने हेतु निर्देश देकर जवाबदावा प्राप्त करना चाहिये था । अधी0न्याया0 द्वारा पारित एकतरफा निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 25.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर